संख्या–2–ई.एम./2009–का–4–2010(1)

प्रेषक,

वी.के.शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–4, लखनऊः दिनांकः 27 जनवरी, 2010

विषयः– सेवा संवर्गों की समस्याओं के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि प्रमुख सचिव/सचिवगण एवं विभागाध्यक्षों द्वारा विभिन्न संवर्गों की सेवा संबंधी कठिनाइयों एवं सेवा संगठनों की मांगों पर सम्यक् रूप से विचार कर उनके निराकरण के समुचित प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, जिससे सेवा संगठनों द्वारा उच्च स्तर पर बैठकें आहूत करने का अनुरोध करने के साथ–साथ आन्दोलन से संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किये जाते हैं।

2. संवर्गों की समस्याओं तथा सेवा संगठनों की मांगों का त्वरित एवं समयबद्ध रूप से निराकरण सुनिश्चित कराने हेतु, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:–

(1) विभागीय प्रमुख सचिव/सचिवगण एवं विभागाध्यक्षों आदि के द्वारा सेवा संगठनों की मांगों पर प्रत्येक माह बैठकें आहूत कर, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सेवा संगठनों की मांगों/समस्याओं का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) कर्मचारी संगठनों की मांगों के संबंध में की गयी कार्यवाही से संबंधित प्रगति आख्या मा. मुख्य मंत्री जी की मासिक समीक्षा बैठक में समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु प्रस्तुत की जाय।

(3) ऐसी महत्वपूर्ण एवं गम्भीर मांगें, जिनका विभाग के स्तर से निराकरण सम्भव नहीं है अथवा जिनमें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया जाना/वित्तीय उपाशय निहित है, को विचार विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

3. अनुरोध है कि सेवा संगठनों की मांगों/समस्याओं के संबंध में उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(वी.के.शर्मा)
मुख्य सचिव